

# सुरक्षा उनकी जो हमें रखें जागरूक पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

प्रदेश में काम कर रहे पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन आदि को  
स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा

**आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि बढ़ाकर  
04 सितम्बर, 2017 कर दी गयी है।**

पत्रकार बीमा योजना के फार्म [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) से डाउनलोड कर  
प्रीमियम के अंश के साथ जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल में ही जमा किये जा सकते हैं।



## सम्पर्क

पत्रकार कल्याण शाखा  
जनसम्पर्क संचालनालय,  
भोपाल

**Ph. 0755-4096320**

जे.के. सबलानिया, सीनियर डिवीज़न मैनेजर  
e-mail : [jitendrasablania@uiic.co.in](mailto:jitendrasablania@uiic.co.in)  
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. डिवीज़न  
2, 153, गुरु आर्केड प्रथम तल, .  
जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल  
0755-2763447, मो. 9425015735

नोट : बीमा योजना प्रीमियम आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि को जोड़कर कुल प्रीमियम का ड्रॉफ्ट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनवाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाए। बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम की विस्तृत जानकारी [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) एवं [www.mdindiaonline.com](http://www.mdindiaonline.com) पर उपलब्ध है।

## सुरक्षा उनकी जो हमें रखें जागरूक

# पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

प्रदेश में निवासरत एवं काम कर रहे पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन आदि  
को रखारथ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा

- व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा रूपये 2 लाख और दुर्घटना बीमा रूपये 5 लाख का होगा। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे।
- बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75% और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा किश्त का 85% भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा दिया जायेगा।
- पति, पत्नि या बच्चों (अधिकतम तीन और उम्र 23 साल तक के) को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।
- जनसम्पर्क संचालनालय की अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के साथ ही बिना अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के लिये भी योजना में प्रावधान किये गये हैं। गैर अधिमान्य पत्रकारों को संरक्षण का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौती की स्लिप लगाना अनिवार्य होगा।
- पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी जिसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया जायेगा।
- जिन पत्रकारों ने पूर्व में बीमा पॉलिसी करायी है और वह अगस्त माह में खत्म हो रही थी, उसे 30 सितम्बर तक के लिये बढ़ा दिया गया है।
- इस वर्ष एक ही किश्त में एक अक्टूबर 2017 से पॉलिसी करने का निर्णय लिया गया है इसलिए जिन पत्रकारों की पॉलिसी अक्टूबर माह तक है, उन्हें भी 25 अगस्त 2017 तक आवेदन करना अनिवार्य है।
- फार्म [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) से डाउनलोड कर प्रीमियम के अंश के साथ जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल में ही जमा किया जाना होगा।

### प्रीमियम तालिका

### प्रीमियम दर वित्त वर्ष – 2017-18 (18% टैक्स सहित)

आयु	मूल प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा	प्रीमियम दुर्घटना बीमा	कुल प्रीमियम	25% प्रीमियम पत्रकार की ओर से	75% सरकार की ओर से	स्वयं + पति/पत्नी	स्वयं + पति/पत्नी + 1 बच्चा	स्वयं + पति/पत्नी + 2 बच्चे	स्वयं + पति/पत्नी + 3 बच्चे
0-35	3041	359	3400	850	2550	1198	1546	1893	2241
36-45	3667	359	4026	917	2750	1426	1845	2265	2683
46-55	5609	359	5968	1402	4206	2132	2771	3411	4051
56-60	7651	359	8010	1913	5738	2875	3748	4620	5494
61-70	10416	359	10775	1616*	9159**	2803	N.A.	N.A.	N.A.

\* प्रीमियम की गणना 15% के आधार पर की गई है। \*\* प्रीमियम की गणना 85% प्रतिशत के आधार पर की गई है।



सम्पर्क ► पत्रकार कल्याण शाखा

जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल

Ph. 0755-4096320

जे.के. सबलानिया, सीनियर डिवीजन मैनेजर

e-mail : [jitendrasablania@uiic.co.in](mailto:jitendrasablania@uiic.co.in)

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. डिवीजन

2, 153, गुरु आर्केंड प्रथम तल, जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल

0755-2763447, मो. 9425015735

आवेदन ग्राम होने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2017

नोट : यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं तो ऊपर तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि को जोड़कर कुल प्रीमियम का ड्रॉफ्ट यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बनवाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी [www.mpinfo.org](http://www.mpinfo.org) एवं [www.mdindiaonline.com](http://www.mdindiaonline.com) पर उपलब्ध है।